भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4812

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम

4812. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रालय और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच आयोजित समीक्षा बैठक के उद्देश्य क्या हैं?

(ख) इस बैठक के दौरान परियोजना के किन मुख्य संकेतकों और लक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधक विशिष्ट बाधाओं की पहचान की गई है;

(घ) उनके समाधान के लिए किन अनुवर्ती कार्रवाइयों पर सहमति हुई है;

(ङ) क्या मंत्रालय अन्य गंगा-बेसिन राज्यों के साथ भी इसी प्रकार की सहयोगात्मक समीक्षा बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सारिणी क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): समीक्षा बैठकों का मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों हेतु किए जा रहे प्रदूषण उपशमन कार्यों की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन करना है। ये बैठकें उन महत्वपूर्ण बाधाओं, कार्यान्वयन में विलंब और अंतर-विभागीय समन्वय संबंधी मुद्दों की पहचान और समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती हैं जो चल रही परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा बन सकते हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में इंटरसेप्टर सीवर बिछाने हेतु भूमि अधिग्रहण और मार्गाधिकार संबंधी चुनौतियों के कारण कुछ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए थी। बैठक में महेशतला, चकदाहा, बरहामपुर और जंगीपुर, गार्डन रीच (कोलकाता) और उत्तरी बैरकपुर के शहरों में इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन (आई एवं डी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) संबंधित पांच

प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। परियोजना की समयसीमा, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों और एजेंसियों के बीच समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्य के समय पर पूरा होने के महत्व पर बल दिया गया और संबंधित एजेंसियों को काम में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सीमा का पालन करें। उस निर्देश पर अनुवर्ती कार्रवाई केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) और अधिकार प्राप्त कार्य बल (ईटीएफ) की बैठकों में की जाती है।

(ग) और (घ): नए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और सीवेज-संबंधी नेटवर्क के लिए मार्गाधिकार जैसी वैधानिक मंज़ूरियाँ जारी करना प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आया है। इन चुनौतियों का समाधान करने और इनसे निपटने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) परियोजनाओं स्थिति की बारीकी से निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एनएमसीजी द्वारा सक्षम प्राधिकारियों की अध्यक्षता में और केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के माध्यम से नियमित रूप से प्रगति का मूल्यांकन करने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है।

(ङ) और (च): जी, हाँ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एनएमसीजी के अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्रों के माध्यम से, सभी गंगा बेसिन राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के साथ नियमित रूप से व्यापक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। इनमें परियोजना समीक्षा बैठक, केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) और अधिकार प्राप्त कार्य बल (ईटीएफ) शामिल हैं।

इन बैठकों का उद्देश्य, परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, संभावित बाधाओं की पहचान करना और राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय से समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। अब तक, सीएमसी के अंतर्गत 11 गंगा बेसिन राज्यों के साथ कुल 20 बैठकें और ईटीएफ तंत्र के अंतर्गत 15 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ये बैठकें एनएमसीजी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त हैं।

*****